सं0सं0–7/संक्रा0रोग अस्प0,पटना–16–01/2017– 119(7)व

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

सच्चिदानंद चौधरी,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

अधीक्षक,
संक्रामक रोग अस्पताल, पटना ।

पटना, दिनांक 27-12-2017

विषयः– स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत मांग संख्या–20 अन्तर्गत मुख्य व्यय शीर्ष–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–01–शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ–एलोपैथी–110–अस्पताल तथा औषधालय–0011 संक्रामक रोग अस्पताल, पटना उपशीर्ष विपत्र कोड– 20–2210011100011 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–2018 में विभिन्न प्राथमिक ईकाईयों में कुल ₹62,29,400/–(बासठ लाख उनतीस हजार चार सौ रू.) मात्र का अतिरिक्त आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष/उपशीर्ष/विपत्र कोड अन्तर्गत विभागीय आवंटनादेश संख्या–20(7)ब दिनांक–15.05.17 एवं 103(7)ब दिनांक–5.12.17 के क्रम में संलग्न विवरणी के अनुसार वित्तीय वर्ष वर्ष 2017–2018 में विभिन्न प्राथमिक ईकाईयों में कुल ₹62,29,400/–(बासठ लाख उनतीस हजार चार सौ रू.) मात्र का अतिरिक्त आवंटन दी जाती है। (विवरणी संलग्न)

3. सम्बंधित आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं0 2561 वि0 (2) दिनांक 17.4.98, परिपत्र 326वि0 दिनांक–2.04.2014 तथा 295वि0 दिनांक–04.03.15 में निहित निदेश के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय ।

3. आवंटित राशि की निकासी मांग संख्या–20 अन्तर्गत व्यय शीर्ष–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–01–शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ–एलोपैथी–110–अस्पताल तथा औषधालय–0011 संक्रामक रोग अस्पताल, पटना उपशीर्ष विपत्र कोड– 20–2210011100011 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–2018 में आय व्ययक आयोजना भिन्न में उपबंधित राशि से तथा पुनर्विनियोग (स्वीकृत्यादेश संख्या–111(7) दिनांक–06.10.17) से प्राप्त राशि से किया जायेगा।

किया जायेगा।

4. इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अधीक्षक, संक्रामक रोग अस्पताल, पटना तथा नियंत्री पदाधिकारी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे ।

5. कई पदाधिकारियों/कर्मचारियों के बकाये वेतन का भुगतान नहीं हुआ है जिसके कारण माननीय उच्च न्यायालय के सामने भी कई मामले दायर किये गये हैं । माननीय उच्च न्यायालय ने ऐसे मामलों में यह आदेश पारित किया है कि विभाग देय बकाये वेतनादि का भुगतान शीध्र करे । अतः यह आदेश दिया जाता है कि जिन पदाधिकारियों/कर्मचारियों का बकाया वेतन है वे शपथ पत्र के साथ अपना आवेदन सम्बंधित सिविल सर्जन/क्षेत्रीय अपर निदेशक/निदेशक प्रमुख को देंगे। सिविल सर्जन/क्षेत्रीय अपर निदेशक/ निदेशक प्रमुख निम्नांकित बिन्दुओं पर आवेदन की जाँच कर बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे।

1. संबंधित पदाधिकारी/कर्मचारी विधिवत वहां पदस्थापित हैं ।
2. विधिवत पदस्थापित होने का सत्यापन कर केवल उसी अवधि का वेतन का भुगतान किया जायेगा जिस अवधि में ये पदाधिकारी वास्तव में कार्य किये हों ।
3. जहाँ तक कर्मचारियों के बकाये वेतनादि के भुगतान का प्रश्न है सिविल सर्जन इस बात का सत्यापन कर लेंगे कि उक्त अवधि का भुगतान पूर्व में नहीं हुआ है।

सिविल सर्जन / क्षेत्रीय अपर निदेशाक/निदेशक प्रमुख उपरोक्त शर्त्तो से संतुष्ट होने पर इस आवंटनादेश से बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे । यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पुनरीक्षित वेतनमान के अन्तर राशि भी सिविल सर्जन सब तरह से संतुष्ट होकर कि, **कितनी राशि देय है**, **का भुगतान इस आवंटन** से कर सकते हैं ।

6. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृति बल के विरूद्ध नियमानुकूल नियुक्त पदाधिकारी/कर्मचारी का ही वेतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण–पत्र वेतन विपत्र में भी अंकित करेंगे ।

7. क्रय सम्बंधी कार्य स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक–96(9) दिनांक–18.02.99, 142(9) दिनांक– 15.03.2001, 241(9) दिनांक–21.05.2002 एवं 379(9) दिनांक–16.08.2002 तथा 73(9) दिनांक 28.1.06 के आलोक में सभी सरकारी औपचारिकताओं को पूरा करते हुए किया जायगा ।

8. आवंटित राशि से किए गए क्रय में निर्धारित विहित प्रक्रिया का पालन करने, उनका सदुपयोग सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा ।

9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी विहित प्रपत्र में व्यय विवरणी टी0भी0 नं0 एवं तिथि के साथ प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे ।

10. इसकी प्रति महालेखाकार बिहार, पटना को भी दी जा रही है ।

विश्वासभाजन,

27/12/17

(सच्चिदानंद चौधरी)

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक : 119(7)9 पटना, दिनांक : 27-12-17

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले0 एवं ह0) बिहार, पटना/वित्त विभाग बजट शाखा/ संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/ संबंधित जिला पदाधिकारी /संबंधित कोषागार पदाधिकारी/ संबंधित उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/ निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार के सचिव/ प्रशाखा पदाधिकारी–7/आई0टी0मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना एवं कार्यवाह सहायक को पाँच अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ प्रेषित।

27/12/17

सरकार के विशेष सचिव

आवंटन एंव उपबंध की स्थिति/विवरणी:–

क्रमांक	प्राथमिक इकाई एवं कोड	बजट उपबंध	पूर्व में आवंटित राशि	वर्तमान आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि	अवशेष राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	वेतन (0011–01–01)	8513000	6810400	1702600	8513000	0
2	विशेष वेतन (0011–01–02)	54000	43200	10800	54000	0
3	जीवन यापन भत्ता (0011–01–03)	11153000	8922400	2230600	11153000	0
4	मकान किराया भत्ता (0011–01–04)	1703000	1362400	340600	1703000	0
5	परिवहन भत्ता (0011–01–05)	61000	48800	12200	61000	0
6	चिकित्सा भत्ता (0011–01–06)	38000	30400	7600	38000	0
7	अन्य भत्ता (0011–01–07)	425000	340000	85000	425000	0
	योग 20-2210.01.110.0011.01 वेतन	**21947000**	**17557600**	**4389400**	**21947000**	**0**
8	चिकित्सा प्रतिपूर्ति (0011–06–01)	200000	0	0	0	200000
9	यात्रा व्यय (0011–11–01)	100000	50000	0	50000	50000
10	कार्यालय व्यय (0011–13–01)	200000	100000	100000	200000	0
11	दूरभाष (0011–13–03)	25000	12500	0	12500	12500
12	विद्युत प्रभार (0011–13–04)	425000	418750	0	418750	6250
13	विधि प्रभार (0011–13–05)	50000	25000	0	25000	25000
14	वर्दी/ पोषाक (0011–13–06)	50000	25000	25000	50000	0
15	प्रशिक्षण व्यय (0011–20–03)	148000	74000	0	74000	74000
16	सामग्री एवं पूर्तियॉं (0011–21–01)	150000	75000	75000	150000	0
17	दवा भंडार (0011–21–02)	2500000	1250000	1250000	2500000	0
18	आहार/ पथ्य (0011–21–03)	120000	60000	60000	120000	0
19	अनुरक्षण एवं मरम्मत (0011–27–02)	1000	0	0	0	1000
20	संविदा सेवाएँ (0011–28–02)	500000	250000	250000	500000	0
21	मशीने एवं उपस्कर (0011–52–01)	160000	80000	80000	160000	0
	कुल	**26576000**	**19977850**	**6229400**	**26207250**	**368750**

(बासठ लाख उनतीस हजार चार सौ रू.) मात्र

119(7)9
27-12-17

27/12/17

सरकार के विशेष सचिव